


फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) एवं उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

दिनांक देव कुंवर विपक्षी नारायण लाल
 मुकदमा नं. पाद पत्रावली संख्या 86115 सन् _____

| क्र.सं. | कार्यवाही विवरण | हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई |
|---------|---|---|
| | <p>18/3/25 आज दिनांक की वार एसोसियेशन मावली नें कार्य स्थगित रखने का अनुरोध किया। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक.... <u>6/5/25</u> को पेश हो। D10 2</p> | |
| | <p>6/5/25 एकुलाय वादी/प्रतिवादी उप <u>पत्रावली 45/तलव</u> के लिये मौका चाहते है। अतः <u>आदि</u> अवसर दिया जाकर पत्रावली दि <u>10/6/25</u> को पेश हो। [Signature] [Signature]</p> | |
| | <p>10/6/25 एकुलाय वादी/प्रतिवादी उप <u>पत्रावली 45/तलव</u> के लिये मौका चाहते है। अतः <u>आदि</u> अवसर दिया जाकर पत्रावली दि <u>8/7/25</u> को पेश हो। [Signature] [Signature]</p> | |
| | <p>8/7/25 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पद्मकराम उप। उपस्थित अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य का बहिष्कार करने/शोक तथा कर न्यायिक कार्य स्थगित रखने, अधिकारी जी राज अवकारा/ब्रमण/मीटिंग में पेश है। पत्रावली पूर्व अद्वारा के क्रम में दिनांक <u>19/8/25</u> को पेश हो। D10</p> | |
| | <p>19/08/25 पत्रावली पेश हुई। अ.दि. उ.अ.प. पद्मकराम उप। अ.दि. वादी के.वा. 91.44 91.44 01R10 उपर उपस्थित कर य.सं. 30/2 का नाम ए.ए. के जाने का निवेदन किया। य.सं. 30/2 के.वा. ए.अ.मा.वा. कर करने से वर्तमान में खाते का नही रहे। न्यायालय का विचार अतिमान है कि य.सं.</p> |  |

30/2 द्वारा अपने नाम नर्क दिखसा जसि
 का एक (410) कर दिया गया है तथा
 वही नाम जमावली में प्र.सं. 30/2
 खातेदार नहीं है। अतः प्र.सं. 30/2 पर
 स्वीकार किया जाकर प्र.सं. 30/2 का
 नाम नर्क किये जाने के आदेश दिए
 जाते हैं। पत्रावली वास्तव जवाब
 नं० 45 दिनांक 16/09/25 को पेश
 है।

16/9/25
 वकूलाय वादी/प्रतिवादी उप नाम नं० 45
 के लिये नौका चाहते हैं। अतः प्र.सं. 01/01/25
 अवसर दिया जाकर पत्रावली दि. 14/10/25
 को पेश हो।

(SDO) मावली

14/10/25 पत्रावली पेश हुई। अधि. उद्देश्य प्र.सं. 34.
 वादीया के जोर से अधि. मा. पुरण मल लौटार
 द्वारा अफालन पत्रावली किया। गत. का. रहे।
 पत्रावली वास्तव जवाब न. 45 दिनांक 17/11/25
 को पेश हो।

17/11/25 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उच्च पक्षकारान अनुपस्थित।
 अधिवक्ता उच्च पक्षकारान को बार-बार आवाने दिलवाई गई।
 समय सांय 5:00 PM हो चुके हैं। अधिवक्ता मय पक्षकारान
 अब तक अनुपस्थित हैं। अतः अधिवक्ता वादीया मय स्वयं
 वादीया एवं अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 44 मय स्वयं प्रतिवादी
 संख्या 44 अनुपस्थित रहने पर वादीया का वाद एवं प्रतिवादी
 संख्या 44 का प्रतिवाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खरिज
 किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार लेकर नम्बर से कम हो।
 निर्णय शुभे न्यायालय सुनाया गया।



सहायक कलेक्टर
 (फास्ट ट्रेक) मावली